

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

राज मुख्तार,
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

संकाय नं०,

अज्ञेय
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा क्र. 2 माध्यमिक विद्यालय
गई (दि. 01-11-2008)

पटना, दिनांक: 2013

विषय,

The Chandrasheel School, Officers Colony, Chakia, Muzaffarpur-845412 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

सहायक,

सम्बन्धित विषय के संदर्भ में निम्नानुसार कहना है कि The Chandrasheel School, Officers Colony, Chakia, Muzaffarpur-845412 को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में इसका विचारना के आचार्य, अधिका, अत्यालय प्रबंधन द्वारा उपरोक्त कसबे में कार्यवाहक अध्यक्ष/अध्यक्षी के संकाय विषय में प्रमाण पत्र के अन्तर्गत प्रमाण विद्यालय में अभिलेखों/अनुभवपत्रों की समीक्षा विभाग की भाषा खण्डों द्वारा की गयी। उपरोक्त विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार है—

1. यह विद्यालय चन्द्रशील एजुकेशनल ट्रस्ट फाउण्डेशन, कौटी ट्रस्ट के अधीन संगठित है। इस ट्रस्ट में किसी एक आचार्य/अधिका का कार्य नहीं है। संकायों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य किया गया है तथा सप्लाय पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी एक शिक्षक को आचार्य/अधिका के रूप में कार्य करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र के द्वारा प्रमाण पत्र भी देने का काम किया है।
3. विद्यालय का 02 एकड़ भूमि सम्पत्त है। विद्यालय में उपरोक्त पुरातनलय एवं प्रयोगशाला सम्पत्त है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सप्लय निदेशन पत्र यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आचार्य/अधिका एवं अध्यापकों के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति का 02 पत्रों में विद्यालय निदेशन पत्र विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 17 शिक्षक हैं। एक ही एकड़ में गई जिले की यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों में योग्यता परिक्षण केन्द्र के अनुसार शिक्षा परिषद के मानकपत्रों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में 01-01 शिक्षक का वेतन बढ़ावा करने का पत्र भी दिया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित सुचारु, वार्षिक लेखा अन्वेषण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आचार्य/अधिका दिया गया है। विद्यालय अपने अन्वेषण के अनुरूप कार्यवाई कर इसे सी 0 भी एक पत्र भी दिखाने को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय में द्वारा निर्धारित रूप में सप्लय भी गयी है कि इस विधानीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2008 में प्रकाशित अधिका सभी स्वीकार है।

Attached

PRINCIPAL
CHANDRASHEEL SCHOOL
CHAKIA

DIRECTOR
CHANDRASHEEL SCHOOL
CHAKIA

CHAKIA

P.T.O

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल अनुभव का 25 प्रतिशत वि. शुल्क सम्बन्धित पदों में विवास करने वाले परिवार के बच्चों का भिन्न आवेदन तथा उनके उपरान्त पुस्तक अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसा बच्चा जो अपनी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अथवा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निम्न-स्तरीय जातिवादी तथा सामान्य वर्गी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगी, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/कोचिंग अथवा प्राथमिक बच्चा या सम्बन्धित के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर सम्बन्धित के लिए आवेदन विद्यमान समय से अधिक हो तो खुले तौर पर से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन का कार्य किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/कोचिंग तथा प्राथमिक बच्चों के लिए प्रवेश देने वाले बच्चों का विद्यालय से आवेदन की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक बच्चा से नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक राखी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ही नई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लेवाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने का संभव में शक्य पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी. सी. बी. ए. आई. आई. नई दिल्ली अपने सार से जांच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनका दावा निर्दिष्ट मापदण्ड के आधार पर संघालित है।

9. साथ ही बच्चे जो यह सुनिश्चित करने लगे कि सम्बन्धित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य रूप अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। प्रमाण जो यह सब सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख वास्तविकता-एक असाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धित बच्चे को वापस लेना जायेगा।

10. विभागीय पत्र-पत्र-16, दिनांक 18.01.2013 द्वारा शिक्षक/छात्रों को सार्वजनिक रूप नहीं दिए जाने समी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय शिक्षा-संरक्षक के जिला शिक्षा अथवा स्वास्थ्य विभाग के निम्नी पदाधिकारी के द्वारा विरीक्षण हेतु किसी भी समय सुरुज होगा।

उपर्युक्त संघर्ष शर्तों का आलाक में विभागीय समिति द्वारा लिखे गये निर्णयानुसार The Chandrasheel School, Officers Colony, Chakia, Muzaffarpur-845412 को सी. सी. बी. ए. आई. नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनुमति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विस्थासन्धान,
80/-
(राज मुख्तार)
विशेष निदेशक, मा. शिक्षा।

आपाक: _____ पटना, दिनांक: _____ 2013
प्रतिलिपि: जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

80/-
विशेष निदेशक, मा. शिक्षा।

आपाक: 640 पटना, दिनांक: 20/6/2013
प्रतिलिपि: सचिव, The Chandrasheel School, Officers Colony, Chakia, Muzaffarpur-845412 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए।

20.6.13
विशेष निदेशक, मा. शिक्षा।

Attached
PRINCIPAL
THE CHANDRASHEEL SCHOOL,
CHAKIA